बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग अन्तर्गत बिहार पंचायत सेवा के सेवानिवृत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारीयों की सेवा संविदा पर लिये जाने हेतु विज्ञापनः

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रवाधान के तहत सेवानिवृत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता एवं सामान्य निर्देश विभाग के वेबसाइट– **https://state.bihar.gov.in/biharprd** पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि–17.06.2023 से 17.07.2023 अपराह्न 05:00 बजे तक है।

2. संविदा आधारित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों हेतु आरक्षणवार पदों की संख्या निम्नवत् है:–

क्र0	पदनाम	पद संवर्ग	पदो की संख्या	वेतन स्तर	आरक्षण कोटि			अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6			7
1	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी	बिहार पंचायत सेवा	266	07	कोटि	पुरूष	महिला	
					अनारक्षित	69	38	
					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19	07	
					अनुसूचित जाति	26	16	
					अनुसूचित जन जाति	02	01	
					अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	30	18	
					पिछड़ा वर्ग	21	11	
					पिछड़े वर्गो की महिला	00	08	
					कुल	168	98	

3. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रताः–

(i) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ii) सेवानिवृत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारीयों का संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा सामान्य प्रशान विभाग के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 के उपबंधों से आच्छादित होगी।

(iii) चयन मात्र एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नती होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्रसीमा 65 वर्ष होगी। अर्थात् दिनांक 01.08.2023 को आवेदक का उम्र 64 वर्ष से अधिक नहीं हो।

4. आवेदन की प्रक्रियाः–

(i) संपूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. आवेदन समर्पित करने उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किस अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जायेगा। आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्यवाई की जायेगी।

6. संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जायेगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण–पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेगें। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

7. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।

8. आवेदक इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरूद्ध (i) कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है। (ii) कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है। (iii) कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है एवं (iv) किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

9. आवेदक ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का मुद्रित प्रति, सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कॉउनसेलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O) समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10. कॉउनसेलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. विभाग कुल रिक्ति से कम पद पर भी संविदा नियोजन कर सकती है।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव